A 6/1

1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
183 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	23.09.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

दुर्गालाल आ. बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम भवानीपुरा, तहसील हिण्डोली जिला बूंदी। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 07.12.2004 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री रामकैलाश नागर, अभि.।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 17 रकबा 10 बिस्वा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 17 रकबा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 07.12.2004 को आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। आवंटन वर्ष 2004 को किया गया है जिसको लगभग 15 वर्ष हो चुके है। 15 वर्ष बाद यह कार्यवाही पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। इतने वर्ष बाद आवंटी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो वह कब्जा

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

वैधानिक नहीं है। खसरा गिरदावरी के अनुसार आवंटी का ही कब्जा काश्त है अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी द्वारा झूठी व मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है। रेकार्ड के अनुसार अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी को गैरखातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 17 रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 07.12.2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी को दिनांक 20.01.2005 को मौके पर कब्जा दिया जाकर पट्टा फीस जमा की गई है। उसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी दी गई है जो आवंटी को कब्जा देने के पश्चात ही दी जाती है। आवंटन वर्ष 2004 का है। जिसको करीब 15 वर्ष हो चुके है। आवंटी स्वतः ही 10 वर्ष पश्चात खातेदार कृषक घोषित हो जाता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। अंन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। जिससे अन्य व्यक्तियो का कब्जा काश्त साबित होता हो। अन्य व्यक्ति जिनका कब्जा काश्त होना प्रार्थी ने अंकित किया गया है उनको पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटन दिनांक 07.12.2004 को करीब 15 वर्ष बाद 14(4) की कार्यवाही पेश किया जाना संदेह से परे नहीं है। अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया गया है। तहसीलदार, द्वारा आवंटी को कब्जा दिया जाकर गैरखातेदारी दर्ज किया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष प्रमाणित नहीं होता है, यदि आवंटन भूमि पर अन्य का कोई कब्जा काश्त है तो उसकी हैसियत मात्र आवंटी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण की है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 07.12.2004 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलेक्टर
बून्दी (राज0)